संख्या– 9-2024-डीएफए-733868-38-7099-613-2019

प्रेषक,

अमनदीप डुली,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2024

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत शेड्यूल आफ रेट्स के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1481 दिनांक 27-03-2024(छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए रू0 237.00 प्रतिदिन मजदूरी दर निर्धारित की गयी है ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी

http://shasanadesh.up.gov.in

योजनान्तर्गत कच्चे कार्यों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर संलग्नक के अनुसार शेड्यूल आफ रेट्स की दरें पुनर्निधारित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो दिनांक 01-04-2024 से प्रभावी होंगी। ऐसी मदें जिनका उल्लेख शेड्यूल आफ रेट्स (एसओआर) में नहीं हैं, उनके संबंध में विभागीय (सिचांई, लोक निर्माण एवं वन विभाग) दरें प्रभावी होंगी। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त ।

भवदीय

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

संख्या– 9-2024-डीएफए-733868-38-7099-613-2019तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in